Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

CHIEF SECRETARY'S OFFICE

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS

Order

The 21st March, 2016

No.5/4/2016-1AR.— The Governor of Haryana is pleased to notify that the Search Committee and the Statutory Committee already constituted *vide* Government orders No.5/4/2002-1AR dated 27.12.2015, shall search and recommend the name of suitable candidate(s) for the post of Chief Information Commissioner (to be appointed after retirement of Sh. Naresh Gulati, IAS,Retd.) in the State Information Commission, Haryana.

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government Haryana.

Price : Rs. 5.00

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 मार्च, 2016

संख्या 24/17/81–3टी (II).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना 24/17/81–3टी (II) दिनांक 10 जुलाई, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 24/17/81–3टी (II), दिनांक 10 जुलाई, 2014 में, "(ग) फलैशर सहित एम्बर बत्ती" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 22 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

''23. मुख्यमंत्री, हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार/सलाहकार/परामर्शदाता।

24. उपाध्यक्ष, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड।

25. मेयर, नगर निगम'' ।

एस0 एस0 ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 21st March, 2016

No.24/17/81-3T(II).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) and (iii) of proviso to Sub-rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Transport Department, Notification No. 24/17/81-3T (II), dated the 10th July, 2014, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 24/17/81-3T (II), dated the 10th July, 2014, under heading "(C) Amber Light With Flasher", after serial number 22 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely :-

"23. Political Advisor/Advisor/Consultant to Chief Minister, Haryana.

24. Deputy Chairman, Haryana Sarasvati Heritage Development Board.

25. Mayor, Municipal Corporation."

S.S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

आदेश

दिनांक 21 मार्च, 2016

संख्या 22/52/2005–5 विद्युत.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52), की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में ऊर्जा के सफल उपयोग तथा इसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् :–

नीचे अनुसूची के खाना 3 में वर्णित क्षमता के अनुसार खाना 2 में वर्णित भवनों/क्षेत्रों के प्रवर्ग के लिए सोलर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्र की स्थापना आज्ञापक होगी, अर्थात् :–

अनुसूची

क्रम संख्या	भवन /क्षेत्र के प्रवर्ग	स्थापित किये जाने वाले सौर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्र की क्षमता
1	2	3
1.	नगरनिगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के सेक्टरों की सीमा के भीतर आने वाले 500 वर्ग गज तथा इससे अधिक आकार के भूखंड पर निर्मित सभी नये आवासीय भवन	कम से कम 1 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
2.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि	कम से कम 5 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
3.	30 किलोवाट या अधिक सम्बद्ध भार वाले सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों	कम से कम 2 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
4.	ऐसे सभी निजी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, मालों, होटलों, मोटलों, समारोह हालों तथा पर्यटन काम्पलैक्सों जिनका सम्बद्ध भार (i) 50 किलोवाट से 1000 किलोवाट हो (ii) 1000 किलोवाट से अधिक हो	 (i) कम से कम 10 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो (ii) कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो
5.	समूह आवासीय समितियों, बिल्डरों, आवासन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आकार के भूखंड पर विकसित सभी नए आवासीय परिसर : (i) 0.5 एकड़ से 1 एकड़ (ii) एक एकड़ से अधिक और दो एकड़ तक (iii) दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ तक (iv) पांच एकड़ से अधिक	 (i) कम से कम 10 किलोवाट (ii) कम से कम 20 किलोवाट (iii) कम से कम 30 किलोवाट (iv) कम से कम 40 किलोवाट
6.	100 किलोवाट और अधिक सम्बद्ध भार वाले सिंचाई विभाग के सभी वाटर लिफ्टिंग स्टेशन	कम से कम 50 किलोवाट अथवा सम्बद्ध भार का 3 प्रतिशत, जो भी अधिक हो

(i) ये आदेश पहले अधिसूचित आदेश संख्या 22/52/2005–पावर दिनांक 3 सितम्बर, 2014 का स्थान लेंगे।

(ii) नगर तथा ग्राम आयोजना, हुडा, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, उद्योग व वाणिज्य विभाग, सौर फोटोवोलटाईक विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के आज्ञापक प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे तथा सौर फोटोवोलटाईक विद्युत संयंत्रों का अनिवार्य उपयोग करने हेतु आदेश जारी होने की तिथि से तीन मास के भीतर अपने नियमों में इस संबंध में सुसंगत प्रावधान सम्मिलित करेंगे। वे अपने विभाग के नियमों के अनुसार अधिसूचना को क्रियान्वित न करने पर दाण्डिक कार्यवाही, प्रक्रिया, दाण्डिक राशि निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी करेंगे ।

(iii) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा राज्य सड़क एवं सेतू विकास निगम, जन स्वास्थ्य, शिक्षा (सभी विभाग और मिशन परियोजनाएं), स्वास्थ्य (सभी विभाग और मिशन परियोजनाएं), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, रैड क्रोस समितियां, वास्तुकला, आवासन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई, वन, पुलिस आवास निगम, पर्यटन, राज्य विश्वविद्यालय या सरकार का भवन निर्माण करने वाला अन्य विभाग अपने द्वारा निर्मित सभी भवनों में आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना के तहत सौर फोटोवोलटाईक विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापित करेंगे ।

(iv) अक्षय ऊर्जा विभाग, ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए राज्य नामित अभिकरण के रूप में सरकारी विभागों/संगठनों को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने में परियोजना प्रस्ताव, मूल्य अनुमान तैयार करने में तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त होने वाले केन्द्रीय वित्तीय सहायता (यदि उपलब्ध हो) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा ।

(v) सम्बंधित विभाग राज्य सरकार के उक्त निर्णय को लागू करने की निगरानी तथा प्रगति रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को त्रैमासिक आधार पर अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रपत्रों में संबंधित अपर उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे। इन रिपोर्ट के आधार पर अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा गुणवत्ता/तकनीकी आंकलन करेगा। यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता तो संबंधित विभाग नियमानुसार उक्त दाण्डिक कार्यवाही करेगा ।

(vi) उपरोक्त संगठन /उपयोगकर्ता प्रवर्ग संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश (उपरोक्त पैरा (iii) के अनुसार) के 6 महीने के भीतर अपने मूल्य पर उपरोक्त वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें असफल होने पर जिस संबंधित विभाग द्वारा दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

टिप्पणीः इन आदेशों की अवहेलना की स्थिति में, विद्युत उपयोगिता विभाग को उपरोक्त वर्णित अन्तिम तिथि के समाप्त होने के उपरान्त उचित नोटिस देने के बाद बिजली के कनैक्शन काटने का अधिकार होगा। विद्युत उपयोगिता विभाग के कार्यकारी अभियन्ता (प्रचालन) इन आदेशों को लागू करने के प्राधिकारी होंगे तथा वे इस बारे में अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगे जो क्रमशः एक संकलित त्रैमासिक रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन राज्य अभिहित अधिकरण) को प्रस्तुत करेगा ।

(vii) स्थापित संयंत्र नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार / अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (हरेडा) द्वारा विहित तकनीकी विनिदेशा को सख्ती से अनुपालना करेंगे। तकनीकी विनिदेशा अक्षय ऊर्जा विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in से ली जा सकती है ।

(viii) निजी सेक्टर के उपयोगकर्ता प्रवर्ग या तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार या अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा/हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा पैनल में शामिल चैनल पार्टनर्स/नये उपकरण/फर्म के माध्यम से सौर फोटोवोलटाइक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। जबकि सरकारी विभाग/ संगठनों के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग, हरियाणा को राज्य नामित अभिकरण अनुमोदित स्त्रोत है। पैनल में शामिल चैनल पार्टनर्स/नये उपकरण/फर्म की सूची अक्षय ऊर्जा विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in से ली जा सकती है ।

टिप्पणीः यदि उपरोक्त आदेश के तहत किसी प्रवर्ग के एक से अधिक परिषद/यूनिट है तो वह किसी एक या अधिक परिषद में अधिसूचना के अन्तर्गत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कुल क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा सकता है ।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग, चण्डीगढ़।

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Order

The 21st March, 2016

No. 22/52/2005-5Power.— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Energy Conservation Act, 2001(Central Act 52 of 2001), the Governor of Haryana hereby issues the following directions for efficient use of energy and its conservation in the State of Haryana :-

The installation of Solar Photovoltaic Power Plant for the category of buildings/areas mentioned in column 2 as per the capacity mentioned against it under column 3 of the schedule below shall be mandatory :-

SCHEDULE

Sr. No.	Category of building/area	Capacity of Solar Photovoltaic Power plant to be installed
1	2	3
1	All new residential buildings built on a plot size of 500 Square Yards and above falling within the limits of Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees, Haryana Urban Development Authority (HUDA),Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) sectors	Minimum 1 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
2	All private Educational Institutes, Schools, Colleges, Hostels, Technical/Vocational Education Institutes, Universities etc. having sanctioned load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 5 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
3	All Government Buildings and Offices, Government Colleges, District Institute of Education and Training (DIET), Government Educational Institutions, Universities, having sanctioned load of 30 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 2 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of sanctioned load, whichever is higher
4	All private Hospitals and Nursing Homes, Industrial Establishments, Commercial Establishments, Malls, Hotels, Motels, Banquet Halls and Tourism Complexes, having sanctioned load (i) of 50 Kilo Watt (KW) to 1000 Kilo Watt (KW); (ii) above 1000 Kilo Watt (KW)	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) Or 5% of connected load, whichever is higher; (ii) Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) Or 3% of sanctioned load, whichever is higher
5	All new Housing Complexes, developed by Group Housing Societies, Builders, Housing Boards, on a plot size of: (i) 0.5 Acre to 1.0 Acre; (ii) More than 1.0 Acre to 2.0 Acres; (iii) More than 2.0 Acres to 5.0 Acres; (iv) More than 5.0 Acres.	(i) Minimum 10 Kilo Watt peak (KWp) (ii) Minimum 20 Kilo Watt peak (KWp) (iii) Minimum 30 Kilo Watt peak (KWp) (iv) Minimum 40 Kilo Watt peak (KWp)
6	All water lifting stations of Irrigation Department having connected load of 100 Kilo Watt (KW) and above	Minimum 50 Kilo Watt peak (KWp) Or 3% of connected load, whichever is higher

(i) This order supersede the order notified *vide* No. 22/52/2005-5 Power dated 3rd September, 2014.

(ii) The Departments of Town and Country Planning, HUDA, Urban Local Bodies, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC), Industries and Commerce shall incorporate a relevant provision in this regard in their rules, within three months from the date of issue

of notification, to make use of Solar Photovoltaic Power Plants mandatory. They shall also define the penal action, procedure, mentioning the amount of penalty, for not complying with the provisions of this notification as per their departmental rules.

(iii) Departments of Public Works (Buildings and Roads), Haryana State Roads & Bridges Development Corporation, Public Health, Education (all departments and Mission mode projects), Health (all departments and Mission mode projects), Social Justice and Empowerment, Red Cross Societies, Architecture, Housing Board, Haryana State Agricultural Marketing Board (HSAMB), Irrigation, Forest, Police Housing Corporation, Tourism, State Universities or any other Government building constructed shall implement the mandatory provisions of installation of Solar Photovoltaic Power Generation Plant for the buildings constructed by them.

(iv) The Renewable Energy Department being a State Designated Agency for implementing Energy Conservation Act in the State shall provide all necessary technical support to the Government Departments/Organizations in preparation of project proposal, cost estimates, installation of Solar Power Plants and in obtaining the Central Financial Assistance(CFA) from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India (GOI), if available, from the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, from time to time.

(v) The concerned departments shall designate a District and State level Nodal Officer to monitor and to report the progress of enforcement of the said decision of the State Government, to the Renewable Energy Department, Haryana, on quarterly basis in the formats to be issued by Renewable Energy Department through the office of respective Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer. Based on these reports the Renewable Energy Department will do quality/technical checks. If found not satisfactory then concerned department will take appropriate penal action as mentioned above.

(vi) The above said organizations/user categories shall ensure the compliance of above mentioned mandatory provisions, within six months from the date of issue of concerned department's new guidelines/notification (as per clause (iii) above), at their own cost, failing which, the penal action may be initiated by the respective departments.

(Note: In case of non-compliance of these orders, the Power Utilities Department shall have the power to disconnect the electricity connections after serving due notice on expiry of the deadline mentioned above. The Executive Engineer (Operation) of the Power Utilities Department shall be the enforcing authority of these orders and they shall send quarterly progress reports in this regard to the Additional Deputy Commissioner of their district who in turn shall submit a compiled quarterly report to the Renewable Energy Department, Haryana (the State Designated Agency under the Energy Conservation Act, 2001(Central Act 52 of 2001)).” However, if the Power Utilities Department fails to comply with the directions of the Government, then the responsibility shall also be fixed for non-compliance of the directions.)

(vii) The systems installed shall strictly comply with the technical specifications prescribed by Ministry of New and Renewable Energy, Government of India/ Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA). The technical specifications may be downloaded from the website of the Renewable Energy Department www.hareda.gov.in.

(viii) The user categories of private sector may install the Solar Photovoltaic Power Plants either from the Channel Partners/New Entrepreneurs/ firms empanelled by Ministry of New and Renewable Energy or from the firms empanelled by Renewable Energy Department, Haryana/ Haryana Renewable Energy Development Agency (HAREDA) and for Government departments/organizations, Renewable Energy Department, Haryana is the approved source, being State Designated Agency. The list of Channel Partners/New Entrepreneurs/ firms empanelled by MNRE/HAREDA may be downloaded the website of the Renewable Energy Department www.hareda.gov.in.

Note: if any of the category mentioned in the mandate above have more than one complex/unit, then to fulfill their obligation under this notification, they may install the system in one or more complex, within the State, combining the total requirement as per notification.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

54184—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2016

No.11-HLA of 2016/14.— The Haryana Fire Service (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 11- HLA of 2016

THE HARYANA FIRE SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Fire Service Act, 2009.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Fire Service (Amendment) Act, 2016. Short title.

2. In section 15 of the Haryana Fire Service Act, 2009,- Amendment of section 15 of Haryana Act 12 of 2009.

(i) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(5) On completion of construction of the high-rise building, a no objection certificate shall be obtained, which shall be valid for a period of five years. In the absence of such certificate, the owner shall not occupy, lease or sell the building.".

(ii) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:-

"(6) The owner/occupier of the building shall be give a self declaration certificate annually to the effect that the fire fighting system installed in his building/premises is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. In case there is any addition/alteration in the building, the Fire No Objection Certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per sub-section (1) and the competent authority may randomly check such building/premises.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

(i) Government of Haryana has notified the Haryana Fire Service Act, 2009 *vide* notification dated 24th March, 2009 to provide for the establishment and maintenance of fire service in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

(ii) As per Section 15 (1) of the Haryana Fire Service Act, 2009, any person proposing to construct a building to be used for any propose other than residential purpose or a building proposed to be used for residential purpose of more than 15 meters in height, such as group housing, multi-story flats, walk up apartments, etc. before the commencement of the construction, shall apply for the approval of Fire Fighting Scheme conforming to National Building Code of India, the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the factories Act, 1948 (Act 63 of 1948) and the Punjab Factory Rules, 1952 and issue of No Objection Certificate on such form, alongwith such fee, as may be prescribed.

(iii) There is a provision to get the no objection certificate by the owner on the completion of the construction of high rise building as per section 15 (5) of the Haryana Fire Service Act, 2009. In the absence of such certificate, the owner shall not occupy, lease or sale the building. This NOC is renewed every year by the concerned officer. Renewal of NOC is a time taking process and cause undue harassment to applicant. The amendment will help in addressing substantial number of grievances relating to the renewal of NOC.

(iv) It has therefore, been proposed that section 15 (5) of Haryana Fire Service Act, 2009 may be amended to insert provision of NOC will be renewed after every five years. For the intervening period, the owner/occupier of the building shall be give a self declaration certificate annually to effect that the fire fighting system installed in his building/premises is working in good condition and there is no addition/alteration in the building. In case there is any addition/alteration in the building, the fire No Objection Certificate shall cease to exist and the owner shall apply for approval of revised Fire Fighting Scheme as per sub-section (1) and the competent authority may randomly check such building/premises.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 11–एच0एल0ए0

हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009, की धारा 15 में,– 2009 का हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 में संशोधन।

(i) उप–धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"(5) अति उच्च भवन के निर्माण को पूरा होने पर, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। ऐसे प्रमाण–पत्र के न होने पर, स्वामी भवन का अधिभोग नहीं करेगा, पट्टे पर नहीं देगा या बेचेगा नहीं। "।

(ii) उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

"(6) भवन का स्वामी/अधिभोगी इस आशय का प्रति वर्ष स्वतः घोषणा प्रमाण–पत्र देगा कि भवन/परिसर में संस्थापित अग्निशामक प्रणाली अच्छी दशा में कार्य कर रही है तथा वहां भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन नहीं है। यदि वहां भवन में कोई परिवर्धन/परिवर्तन है, अग्नि अनापत्ति प्रमाण–पत्र अस्तित्वहीन होगा तथा स्वामी उप–धारा (1) के अनुसार पुनरीक्षित अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी ऐसे भवन/परिसरों की जांच–पड़ताल यादृच्छिक कर सकता है। "।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

(i) हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में अग्निशमन सेवा की स्थापना एवं रख–रखाव तथा इससे सम्बद्ध व प्रासंगिक मामले हेतु अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2009 द्वारा हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 अधिसूचित किया गया था।

(ii) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(1) के अनुसार, आवासीय प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन या ऊंचाई में 15 मीटर से अधिक के जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु–मंजिल फलैट्स, वॉक–अप अपार्टमैंट, इत्यादि आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित किसी भवन के निर्माण को प्रस्तावित करने वाला कोई व्यक्ति निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) तथा पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अनुरूप अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन तथा यथाविहित, ऐसी फीस के साथ ऐसे प्ररूप में अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(iii) हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(5) के अनुसार, यह प्रावधान है कि अति ऊंचे भवन निर्माण के पूरा होने पर मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसे प्रमाण–पत्र के न होने पर, स्वामी भवन का अधिभोग नहीं करेगा, पट्टे पर नहीं देगा या बेचेगा नहीं। इस अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जो प्रार्थी को अनुचित उत्पीड़न का कारण है। यह संशोधन अनापत्ति प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण से सम्बन्धित अनेक परिवादों के निपटान में सहायता करेगा।

(iv) इसलिए यह प्रस्तावित है कि हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15(5) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान कर दिया जाये कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायगा तथा भवन स्वामी को प्रत्येक वर्ष यह स्वयं घोषणा प्रमाण–पत्र देना होगा कि उसके भवन/परिसर में स्थापित की गई अग्निशमन प्रणाली अच्छी स्थिति में कार्य कर रही है तथा भवन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि भवन में किसी प्रकार का बदलाव किया गया तो अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र समाप्त समझा जाएगा तथा स्वामी उपधारा (1) के अनुसार संशोधित अग्निशमन योजना के अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी भवन/परिसर का एकाएक निरीक्षण करेगा।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54183—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2016

No.12-HLA of 2016/15.— The Haryana Appropriation (Repeal) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 12- HLA of 2016

THE HARYANA APPROPRIATION (REPEAL) BILL, 2016

A

BILL

to repeal certain Haryana Appropriation Acts.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Appropriation (Repeal) Act, 2016. Short title.

2. The Haryana Appropriation Act, 1967 (35 of 1967), the Haryana Appropriation Act, 1968 (11 of 1968) and the Haryana Appropriation (Vote on Account) Act, 1968 (12 of 1968), are hereby repealed. Repeal of certain Acts.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The repeal of enactments which have ceased to be in force or have become obsolete or the retention whereof as separate, independent and distinct Acts is unnecessary, then, such enactments are to be repealed. The principal object of such repealing Acts is to excise dead matter, prune off superfluities and remove such redundant laws from the Statute Book to bring in clarity. The Appropriation Acts enacted during past sixty-six years, in reality have lost their meaning but are still shown on the Statute-Books. These laws have become either irrelevant or dysfunctional and importantly have served their purpose and outlived their utility.

2. The Commission on Review of Administrative Laws gave its Report in 1998, *inter alia* recommending the repeal of 700 Appropriation Acts passed by Parliament from time to time since 1950 on the ground that these laws have become either irrelevant or dysfunctional. The Law Commission of India in its 248th Report on "*Obsolete Laws: Warranting Immediate Repeal*" has also observed that a large number of Appropriation Acts enacted during past several years, in reality have lost any meaning and are still shown on the Statute-Books. Law Commission further emphasized that repealing of Appropriation Acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that were validly taken under these Acts. If will, however, and importantly serve the purpose of clearing the State-Books and reducing the burden.

3. The State was under President's Rule from 02nd November, 1967 to 22nd May, 1968 and during this period three Appropriation Acts(Haryana Appropriation Act,1967, 1968 and Haryana Appropriation (Vote on Account) confirmed Act,1968 in the schedule attached herewith were passed as shown on the Statute-Books of the Central Government. Hence the proposed Haryana State Appropriation (Repeal) Bill, 2016.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Finance Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 12–एच0एल0ए0

हरियाणा विनियोग (निरसन) विधेयक, 2016

कतिपय हरियाणा विनियोग,

अधिनियमों के निरसन

हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (निरसन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विनियोग अधिनियम, 1967 (1967 का 35), हरियाणा विनियोग अधिनियम, 1968 (1968 का 11) तथा हरियाणा विनियोग (सेवानुदान) अधिनियम, 1968 (1968 का 12), इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं। कतिपय अधिनियमों का निरसन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ऐसे निरस्त करने वाले अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य स्पष्टता लाने के लिए विधान पुस्तक में से अप्रचलित मामलों को काटना, अतिरेक को छांटना और ऐसे अनावश्यक कानूनों को हटाना है। गत 66 वर्षों के दौरान बनाए गये विनियोग अधिनियम वास्तव में अर्थहीन हो गए हैं लेकिन अब भी विधान पुस्तकों में दिखाए जा रहे हैं। यह कानून या तो अप्रासंगिक अथवा बेकार हो गए हैं और मुख्यतः अपना उद्देश्य पूरा करते हुए उपयोगिता खो चुके हैं।

2. प्रशासनिक विधि समीक्षा आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी तथा अन्य बातों के साथ संसद द्वारा वर्ष 1950 के बाद समय–समय पर पारित किए गए 700 विनियोग अधिनियमों को इस आधार पर निरस्त करने की सिफारिश की कि यह कानून अप्रासंगिक अथवा बेकार हो चुके हैं। भारतीय विधि आयोग ने भी अप्रचलित कानूनों के तत्काल निरसन की आवश्यकता पर अपनी 248वीं रिपोर्ट में यह पाया कि गत कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में लागू विनियोग अधिनियम वास्तव में अर्थहीन हो चुके हैं और अब भी विधान पुस्तकों में दिखाए जा रहे हैं। विधि आयोग ने आगे इस बात पर बल दिया कि विनियोग अधिनियम, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, के निरसन से उनकी कार्यवाही पर कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अधिनियमों के तहत वैध रूप से की गई थी। बहरहाल, यह मुख्य रूप से राज्य पुस्तकों के समाशोधन और बोझ को कम करने का कार्य करेगा।

3 राज्य 02 नवम्बर, 1967 से 22 मई, 1968 तक राष्ट्रपति शासन के तहत था तथा इस अवधि के दौरान तीन विनियोग विधेयक (हरियाणा विनियोग अधिनियम 1967, 1968 तथा हरियाणा विनियोग (सेवानुदान) अधिनियम 1968) (संलग्न अनुसूची) पास किए गए थे ये केन्द्र सरकार की विधान पुस्तकों में दिखाए जा रहे हैं। इसलिए हरियाणा विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 पेश किया जा रहा है।

कैप्टन अभिमन्यु ,
वित्त मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54183—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2016

No.13-HLA of 2016/16.— The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 13- HLA of 2016

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2016.

Amendment of section 2 of Haryana Act 8 of 1975.

2. In section 2 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (hereinafter called the principal Act),-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 18th February, 2015, namely:-

"(bb) 'change in beneficial interest' means change in existing developer, assignment of joint development rights, marketing rights or cumulative change in shareholding pattern beyond twenty-five percent of share holding existing at the time of grant of licence;";

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) 'colonizer' means an individual, company or association or body of individuals, whether incorporated or not, owning land for converting it into a colony and to whom a licence has been granted under this Act and shall include a developer;";

(iii) for clause (ddd), the following clause shall be inserted, namely:-

"(d1) 'developer' means an individual, company, association, firm or a limited liability partnership, designated through a collaboration/development agreement with the owner for making an application for grant of licence and for completion of formalities required on behalf or such owner to develop a colony;

(d2) 'development rights' means the rights given for development of land within the urbanisable limit of development plan either to an owner who surrenders such land to vest with the Government without claiming any compensation for the purpose of obtaining TDR Certificate or to a colonizer whom a PDR Certificate has been issued, after fulfilling such terms and conditions and on payment of such fee, as may be prescribed;";

(iv) after clause (jj), the following clause shall be inserted, namely:-

"(jjj) 'notional land' means the theoretical land of which TDR Certificate has been issued;";

(v) after clause (nn), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(n1) 'Purchasable Development Rights Certificate (PDR Certificate)' means the certificate of development rights given to a colonizer in a specified colony which shall not be resalable or transferable;

(n2) 'Transferable Development Rights Certificate (TDR Certificate)' means the certificate of development rights given to an owner who surrenders such land to vest with the Government without claiming any compensation and such certificate may be sold within urbanisable limit of a development plan by the owner;".

Amendment of section 3 of Haryana Act 8 of 1975.

3. In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(A) in the existing proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(B) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that owner may enter into an agreement jointly or severally with a developer for pooling of land for grant of licence.";

(ii) in clause (a) of sub-section (3),-

(a) in sub-clause (iv),-

(A) in the third proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(B) after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the applicant shall be exempted from the provisions of this clause where compliance of clause (iv-b) is sought by the Director.";

(b) after sub-clause (iv-a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iv-b) to hand-over the possession and transfer the ownership of such land, as demarcated and identified in the approved layout plan, in such form and manner, as may be specified by the Director and such land shall vest with the Government to achieve the objective of creation of community buildings, housing, commercial and other physical and social urban infrastructure, in such colonies where a condition to this effect is imposed by the Director, before grant of licence;".

Insertion of section 3D in Haryana Act 8 of 1975.

4. After section 3C of the principal Act, the following section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 18th February, 2015, namely:-

"3D. Change in beneficial interest.- After a licence has been granted under sub-section (3) of section 3 of this Act, the Director may, if satisfied, after making such enquiries, as he may consider necessary, on an application from the colonizer, allow the change in beneficial interest to a third-party, after the fulfillment of such terms and conditions, as specified by the Director and after recovery of such administrative charges, as may be prescribed.".

5. After section 6 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:- Insertion of sections 6A and 6B in Haryana Act 8 of 1975.

"6A. Grant of Transferable Development Rights (TDR) Certificate.- (1) If the owner whose land is eligible for issuance of TDR Certificate within the urbanisable limits of any development plan, subject to such terms and conditions, as may be prescribed, makes an application on the prescribed format, for handing over the possession of such land, to vest with the Government through the Director, for all intents and purposes, free from all encumbrances, shall, notwithstanding anything contained in this Act or rules framed thereunder, be entitled to be granted TDR Certificate upon payment of such fee and charges, as may be prescribed.

(2) On receipt of the application under sub-section (1), the Director, shall undertake scrutiny of such application to-

(a) verify the extent, situation and title of the land;

(b) ascertain conformity of the application to the prescribed parameters; and

(c) initiate and examine the claims and objections in such manner, as may be prescribed.

(3) After the scrutiny under sub-section (2), the Director may issue a TDR Certificate specifying the notional land, to be calculated after factorizing with the prescribed index, on which development rights may be availed subject to such terms and conditions, as may be prescribed or may reject it, citing reasons thereof:

Provided that no such application shall be rejected without giving an opportunity of hearing to the owner.

(4) The entitlement of development rights shall be calculated on the basis of the area of the land and its location, which on account of issuance of TDR Certificate shall vest with the Government, free from all encumbrances and without claiming compensation under any law for the time being in force:

Provided that the Government may either transfer such land that has vested with it to any person or institution including a local authority for such purpose, on such terms and conditions, as it may deem fit, or enter into an exchange of the land with any other person or institution to ensure better planning, before its transfer and utilization.

(5) The development rights shall only be utilizable after due approval from the Director at the time of approval of building plans and shall not be allowed to be utilized unless an entry to such effect is made in the TDR Certificate and the register/database maintained by the Director.

(6) The utilization of development rights shall be subject to such limitations, as may be prescribed.

(7) The Director shall maintain and periodically publish a register/database including entries of issue, transfer or utilization of development rights granted under this section in such manner, as may be prescribed.

6B. Grant of Purchasable Development Rights Certificate (PDR Certificate).- (1) A colonizer intending to obtain a PDR Certificate shall make an application on the prescribed format, alongwith an undertaking to deposit such fee, as may be prescribed, upon demand, shall be entitled to be granted PDR Certificate under this section upon fulfillment of such terms and conditions and on payment of such fee, as may be prescribed.

(2) On receipt of the application under sub-section (1) and upon scrutiny of the application, the Director, if satisfied, may issue PDR Certificate specifying its utilization or may reject it, citing reasons thereof:

Provided that no such application shall be rejected without giving an opportunity of hearing to the colonizer.

(3) The utilization of development rights against any PDR Certificate issued against a specific colony shall be non-transferable and fee deposited against it shall be non-refundable.".

6. After section 8 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 8A in Haryana Act 8 of 1975.

"8A. Online receipt and approval.- (1) All functions performed under this Act may also be performed through electronic form and internet.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the functions may include all or any of the followings:-

(a) receipt or acknowledgement of applications and payments;

(b) issue of approvals, orders or directions;

(c) scrutiny, enquiry or correspondence for grant of license, its renewal, transfer, change in beneficial interest or grant of occupation certificates, part or completion certificate etc.;

(d) approval of plans, estimates, occupation certificates etc.;

(e) filing of documents;

(f) issue of notices for recoveries;

(g) maintenance of registers and records;

(h) any other function that the Director may deem fit in public interest.".

Amendment of section 24 of Haryana Act 8 of 1975.

7. In sub-section (2) of section 24 of the principal Act,-

(i) in clause (i), for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted;

(ii) after clause (i), the following clause shall be added at the end, namely:-

"(j) any other matter which has to be or may be prescribed.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Several policy decisions have recently been taken at the level of the Government, which would have a significant positive impact in improving transparency in dealing with licence cases as well as in providing a major fillip to the urban development sector. The implementation of the New Integrated Licencing Policy and issuance of Transferable Development Rights (TDR) certificate would make available land to the Government for development of community facilities, infrastructural facilities, EWS/affordable housing, physical/ social/commercial urban infrastructure in various towns without resorting to land acquisition. Further, the Government has taken an in-principle decision to allow issuance of PDR Certificate, to enable grant of higher FAR against payment of prescribed fee. In addition, it is proposed to make an enabling provision for recovery of administrative charges in cases pertaining to changes in beneficial interest in licenced colonies. The Government also envisages to initiate on-line receipt and issuance of statutory approvals to further increase the transparency and efficiency in the functioning of the Department, for which an enabling provision in the Act is required.

For the implementation of the policy decisions as indicated above, an enabling provision in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 is required.

Hence this Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 13–एच0एल0ए0

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा तथा 18 फरवरी, 2015 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

''(खख) 'लाभदायक हित में परिवर्तन' से अभिप्राय है, वर्तमान विकासक, संयुक्त विकास अधिकारों का समनुदेशन, विपणन अधिकारों में परिवर्तन अथवा अनुज्ञप्ति प्रदान करने के समय पर वर्तमान शेयर धारण का पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर धारण पैटर्न में संचयी परिवर्तन;'';

(ii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात् :–

''(घ) 'उपनिवेशक' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, कम्पनी या व्यष्टि–संगम या व्यष्टि–निकाय, चाहे निगमित है अथवा नहीं, भूमि को उपनिवेश में परिवर्तित करने के लिए इसका स्वामित्व रखने वाला और जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है तथा इसमें कोई विकासक भी शामिल है;'';

(iii) खण्ड (घघघ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(घ1) 'विकासक' से अभिप्राय है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए तथा किसी उपनिवेश का विकास करने के लिए ऐसे स्वामी की ओर से अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए आवेदन करने हेतु स्वामी के साथ सहयोग / विकास करार के माध्यम से पदाभिहित कोई व्यक्ति, कम्पनी, व्यष्टि–संगम, फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी;

(घ2) 'विकास अधिकार' से अभिप्राय है, या तो स्वामी को, जो टीडीआर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, या किसी उपनिवेशक, जिसको ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने के बाद तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, पीडीआर प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर भूमि के विकास के लिए दिए गए अधिकार;'';

(iv) खण्ड (ञञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ञञञ) 'अप्रयोगमूलक भूमि' से अभिप्राय है, सैद्धान्तिक भूमि जिसका टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी किया गया है;'';

(v) खण्ड (ढढ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(ढ1) 'खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (पीडीआर प्रमाण–पत्र)' से अभिप्राय है, किसी विनिर्दिष्ट उपनिवेश, जो पुनः विक्रययोग्य तथा अन्तरणीय नहीं होगा, में किसी उपनिवेशक को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण–पत्र ;

(ढ2) 'अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (टीडीआर प्रमाण–पत्र)' से अभिप्राय है, किसी स्वामी जो किसी प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित करने के लिए ऐसी भूमि सुपुर्द करता है, को दिए गए विकास अधिकारों का प्रमाण–पत्र तथा ऐसा प्रमाण–पत्र स्वामी द्वारा किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर विक्रय किया जा सकता है ;'';

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(i) उप–धारा (1) में,–

(क) विद्यमान परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि स्वामी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भूमि एकीकरण हेतु किसी विकासक से संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से करार कर सकता है।'';

(ii) उप–धारा (3) के खण्ड (क) में,–

(क) उप–खण्ड (iv) में,–

(क) तृतीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) तृतीय परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि आवेदक को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट प्राप्त होगी जहां खण्ड (iv-ख) की अनुपालना निदेशक द्वारा चाही गई है।'';

(ख) उप–खण्ड (iv-क) के बाद, निम्नलिखित उप–खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(iv-ख) अनुमोदित लेआउट प्लान में यथा सीमांकित तथा चिह्नित ऐसी भूमि के स्वामित्व का कब्जा तथा अन्तरण, ऐसे रूप तथा रीति में, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सौंपना तथा ऐसी भूमि, ऐसे उपनिवेशों में, जहां निदेशक द्वारा, अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, इस प्रभाव की कोई शर्त अधिरोपित की गई है, सामुदायिक निर्माणों, आवास, वाणिज्यिक तथा अन्य भौतिक तथा सामाजिक नगरीय अवसंरचना के सर्जन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार में निहित होगी;''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 3घ का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 3ग के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी तथा 18 फरवरी, 2015 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

''3घ. लाभदायक हित में परिवर्तन.– इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बाद, निदेशक, यदि ऐसी जांच, जैसा वह आवश्यक समझे, करने के बाद संतुष्ट हो जाता है, तो उपनिवेशक के आवेदन पर, निदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने के बाद तथा ऐसे प्रशासकीय प्रभार, जो विहित किए जाएं, की वसूली के बाद, किसी तृतीय पक्षकार को लाभदायक हित में परिवर्तन अनुज्ञात कर सकता है।''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 6क तथा 6ख का रखा जाना।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''6क. अन्तरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण–पत्र प्रदान करना.– (1) यदि स्वामी, जिसकी भूमि ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन, किसी विकास प्लान को नगरीय बनाने योग्य सीमा के भीतर टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु उपयुक्त है, सभी आशयों तथा प्रयोजनों हेतु, सभी ऋणभारों से मुक्त, निदेशक के माध्यम से सरकार में निहित करने के लिए, ऐसी भूमि का कब्जा सौंपने के लिए, विहित फारमेट में आवेदन करता है, तो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी फीस तथा प्रभार, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर टीडीआर प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, निदेशक,–

(क) भूमि का परिमाण, स्थान तथा हक सत्यापित करने ;

(ख) विहित प्राचलों से आवेदन की अनुरूपता अभिनिश्चित करने; तथा

(ग) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में दावों को आरम्भ करने तथा आक्षेपों का परीक्षण करने,

के लिए ऐसे आवेदन की संवीक्षा करेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन संवीक्षा करने के बाद, निदेशक, विहित निर्देशिका, जिस पर विकास अधिकार ऐसे निबन्धन तथा शर्तें, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन उपयोग किए जा सकते हैं, से गुणनखण्ड करने के बाद, संगणित की जाने वाली अप्रयोगमूलक भूमि विनिर्दिष्ट करते हुए टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(4) विकास अधिकारों की हकदारी भूमि के क्षेत्र तथा इसकी अवस्थिति के आधार पर संगणित की जाएगी, जो टीडीआर प्रमाण–पत्र जारी करने के कारण सभी ऋणभारों से मुक्त तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधीन प्रतिकर का दावा किए बिना सरकार में निहित होगी :

परन्तु सरकार या तो ऐसी भूमि का अन्तरण, जो इसमें निहित है, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जैसा यह उचित समझे, पर, ऐसे प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी व्यक्ति या संस्था को कर सकती है, या इसके अन्तरण तथा उपयोग से पूर्व, अच्छी योजना को सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से भूमि की अदला–बदली कर सकती है।

(5) विकास अधिकार केवल निर्माण प्लान के अनुमोदन के समय पर निदेशक से सम्यक् अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यवहार्य होंगे तथा तब तक उपयोग किया जाना अनुमत नहीं किया जाएगा जब तक निदेशक द्वारा टीडीआर प्रमाण–पत्र में ऐसे प्रभाव की प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा रजिस्टर/ डाटाबेस नहीं बनाया जाता है।

(6) विकास अधिकारों का उपयोग ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाएं।

(7) निदेशक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इस धारा के अधीन प्रदान किए गए विकास अधिकारों को जारी करने, अन्तरण करने अथवा उपयोग करने की प्रविष्टियों सहित रजिस्टर/ डाटाबेस बनाए रखेगा तथा समय–समय पर प्रकाशित करवाएगा।

6ख. खरीदयोग्य विकास अधिकार प्रमाण–पत्र (पीडीआर प्रमाण–पत्र) प्रदान करना.– (1) पीडीआर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आशयित कोई उपनिवेशक, मांग पर, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, जमा करवाने की वचनबद्धता सहित विहित फारमेट पर आवेदन करेगा, ऐसे निबन्धन तथा शर्तें पूरी करने पर तथा ऐसी फीस के भुगतान पर, जो विहित की जाए, इस धारा के अधीन पीडीआर प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के लिए हकदार होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर तथा आवेदन की संवीक्षा पर, निदेशक, यदि सन्तुष्ट हो जाता है, इसके उपयोग को विनिर्दिष्ट करते हुए पीडीआर प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है अथवा इसे, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, रद्द कर सकता है :

परन्तु कोई भी ऐसा आवेदन उपनिवेशक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

(3) किसी विशिष्ट उपनिवेश के लिए जारी किए गए किसी पीडीआर प्रमाण–पत्र के लिए विकास अधिकारों का उपयोग अनन्तरणीय होगा तथा इसके लिए जमा करवाई गई फीस अप्रतिदेय होगी।''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 में धारा 8क का रखा जाना।

6. मूल अधिनियम की धारा 8 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''8क. ऑनलाइन प्राप्ति तथा अनुमोदन.– (1) इस अधिनियम के अधीन पूरे किए गए सभी कृत्य इलैक्ट्रोनिक फोरम तथा इंटरनेट के माध्यम से भी पूरे किए जा सकते हैं।

(2) उप–धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृत्यों में निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं को शामिल किया जा सकता है :–

(क) आवेदनों तथा भुगतानों की प्राप्ति अथवा पावती ;

(ख) अनुमोदन, आदेश अथवा निर्देश जारी करना ;

(ग) अनुज्ञप्ति प्रदान करने, इसका नवीकरण, अन्तरण, लाभदायक हित में परिवर्तन अथवा अधिभोग प्रमाण–पत्र, उसका भाग या समापन प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रदान करने हेतु संवीक्षा, जांच अथवा पत्राचार;

(घ) नक्शों, अनुमानों, अधिभोग प्रमाण–पत्रों इत्यादि का अनुमोदन;

(ङ) दस्तावेज दायर करना ;

(च) वसूलियों के लिए नोटिस जारी करना ;

(छ) रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण ;

(ज) कोई अन्य कृत्य जो निदेशक लोक हित में उचित समझे।''।

1975 का हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 24 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (2) में,–

(i) खण्ड (झ) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खण्ड (झ) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''(ञ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हाल ही में सरकार द्वारा अनेक नीतिगत निर्णय लिए गये हैं, जोकि लाईंसेंस से सम्बन्धित मामलों के निपटाने में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा शहरी विकास में तेज़ी लाने में काफी सकारात्मक भूमिका निभाएंगें। नई समेकित अनुज्ञप्ति नीति के लागू करने तथा स्थानान्तरणीय विकासाधिकार प्रमाण पत्र (टी.डी.आर.) जारी करने से सरकार को, बिना भूमि अधिग्रहण किए विभिन्न शहरों में सामुदायिक सुविधाओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, ई.डब्लयू. एस./सस्ते आवासों, भौतिक/सामाजिक/वाणिज्यिक /शहरी अवसंरचना के लिए, भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा, पी.डी.आर. प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है ताकि निर्धारित शुल्क की अदायगी के पश्चात् उच्च एफ.ए.आर. दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्त कालोनियों के लाभकारी हित में परिवर्तन से सम्बन्धित मामलों में प्रशासनिक प्रभारों की वसूली के लिए सक्षम प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार विभाग के कार्यकलापों में और अधिक पारदर्शिता तथा निपुणता लाने के लिए विभिन्न वैधानिक अनुमोदनों के आनलाइन प्राप्ति तथा प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसके लिए अधिनियम में सक्षम प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त नीतिगत निर्णयों को लागू करने हेतु हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 में सक्षम प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

54183—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

43-2016/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 21, 2016 (CHAITRA 1, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2016

No. 14-HLA of 2016/17.— The Haryana Enterprises Promotion Bill,2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 14- HLA of 2016

THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION

BILL, 2016

A

BILL

to provide for simplification of regulatory framework and to assist the promoters in speedy implementation of industrial and other projects in the State of Haryana by providing single point time bound clearances required for setting up of enterprise under one roof and reducing the procedural requirements, rationalizing the documents and to ensure ease of doing business for the promotion of industrial development and facilitation of new investments and to provide for an investor friendly environment in the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th August, 2015.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "any State law" means any law made or adopted by the State Legislature;

(b) "authority" means any Department of the State Government or a local authority or any statutory Board, Corporation or any other authority established by the State Government and entrusted with the powers and responsibility for grant or issue of clearances in connection with the setting up of an enterprise in the State;

(c) "clearances" means grant or issue of no objection certificate, allotment, consent, approval, permission, registration, enrolment, licence by any authority in connection with the setting up of enterprise in the State or expansion of existing enterprise;

(d) "deemed clearance" means a clearance deemed to have been given on the expiry of a period specified under the rules prescribed under this Act or any State law;

(e) "District Level Clearance Committee" means a Committee constituted under section 8;

(f) "District Industries Centre" means the office of Joint Director or Deputy Director, Industries and Commerce Department, Haryana at district level;

(g) "entrepreneur" means an entity who decides to set up an enterprise and includes (i) an individual; (ii) a Hindu undivided family; (iii) a company; (iv) a registered firm; (v) a Limited Liability Partnership as per the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009); (vi) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; (vii) any corporation established by or under any Central, State or Provincial Act or a Government Company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013); (viii) any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; or (ix) a co-operative society registered under any law relating to co-operative society;

(h) "Empowered Executive Committee" means the Committee constituted under section 4;

(i) "enterprise" means an undertaking engaged in manufacturing, processing or both or providing service including software development;

(j) "Haryana Enterprises Promotion Board" means the Board constituted under section 3;

(k) "Haryana Enterprises Promotion Centre" means the Centre constituted under section 5 ;

(l) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(m) "State" means the State of Haryana;

(n) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Haryana Enterprise Promotion Board.

3. (1) The State Government shall, by notification constitute the Haryana Enterprises Promotion Board under the Chairmanship of the Chief Minister and such other members, as may be prescribed.

(2) The Haryana Enterprises Promotion Board shall consist of a two tier system viz. the Empowered Executive Committee at State Level and the District Level Clearance Committee at district level for grant of project clearances.

(3) The Haryana Enterprises Promotion Board shall be the Apex body for all matters relating to the enterprise development and shall perform the following functions, namely:-

(i) to frame the regulations and procedures for conduct of its business and allocating functions to the Empowered Executive Committee;

(ii) to create, sanction, abolish and re-designate the posts in the Haryana Enterprises Promotion Centre and the District Industries Centres;

(iii) to monitor, supervise and review the functioning of the Empowered Executive Committee and the District Level Clearance Committees;

(iv) to approve any incentives, relaxations, exemptions or grant clearances on the recommendations of the Empowered Executive Committee in mega projects and ultra mega projects beyond the package of fiscal incentives under the Enterprises Promotion Policy, 2015;

(v) to grant clearance on the recommendations of the Empowered Executive Committee and the District Level Clearance Committee, where the powers of approval are vested with the State Government;

(vi) to approve the annual budget, accounts and reports including audit reports of the Haryana Enterprises Promotion Centre; and

(vii) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed.

Empowered Executive Committee.

4. (1) The State Government shall, by notification, constitute the Empowered Executive Committee for considering the projects with such investment and for grant of Change of Land Use permission for such area, as may be prescribed, under the Chairmanship of Principal Secretary to the Chief Minister and such other members, as may be prescribed. The Empowered Executive Committee shall exercise powers of authority as devolved upon it under respective Acts, rules or regulations, if any, regarding grant of clearances and incentives in time bound manner upto the stage/ date of commencement of production/ operations of project. In case any authority is unable to devolve its power to the Empowered Executive Committee, it shall delegate such powers to its officer deputed in the Empowered Executive Committee.

(2) The Administrative Secretary of Industries and Commerce Department shall be the Chief Executive Officer and shall perform such functions, as may be prescribed. The Managing Director, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited shall be the Additional Chief Executive Officer and the Director General or Director, Industries and Commerce Department shall be the Deputy Chief Executive Officer. The office of the Empowered Executive Committee shall be located in the Directorate of Industries and Commerce, Haryana, Chandigarh. The staff of the Directorate of Industries and Commerce, Haryana, shall be suitably fortified with the deputationists from various departments to serve the Empowered Executive Committee.

(3) The Empowered Executive Committee shall work under the overall supervision and guidance of the Haryana Enterprise Promotion Board and shall perform the following functions:-

(i) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed;

(ii) to process online composite application forms for grant of clearances for setting up of new projects or expansion of existing units with such proposed investments, as may be prescribed;

(iii) to inform the entrepreneur the date on which such application may be deemed to have been approved in the case of deemed clearances;

(iv) to review and monitor the processing of applications received by the Haryana Enterprises Promotion Centre;

(v) to grant approvals for establishment of industrial parks in private sector;

(vi) to act as single point agency for resolution of issues pertaining to multiple departments and settling the inter-departmental disputes of the existing industrial units;

(vii) to carry out such other functions, as may be assigned to it by the Haryana Enterprises Promotion Board or the State Government;

(viii) to refer any matter to Haryana Enterprises Promotion Board with its recommendations or suggestions.

(4) The Empowered Executive Committee shall be the final authority for granting clearances. The clearances given by the Committee shall be binding on the authority concerned.

(5) The Empowered Executive Committee may appoint from time to time, any sub- committee under the Chairmanship of Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department and experts from Industries or related fields as it considers necessary, to assist it in carrying out its functions and to facilitate investment in the State.

Haryana Enterprises Promotion Centre.

5. (1) The State Government shall constitute the Haryana Enterprises Promotion Centre with Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department as the Chief Executive Officer and consisting of such other members, as may be prescribed.

(2) The Haryana Enterprises Promotion Centre shall provide secretarial service to the Haryana Enterprises Promotion Board and the Empowered Executive Committee and shall have complete data base on availability of land, water, power, finance etc. and the Acts, rules, regulations and bye-laws of all the institutions engaged in industrial development. The Haryana Enterprises Promotion Centre shall showcase the State as an ultimate destination for investment and it shall perform the following functions, namely:-

(i) to act as a single point contact agency under one roof to provide information and hand-holding services for venture location to prospective entrepreneurs particularly with regard to various clearances needed for implementation of the projects, availability of land and present level of infrastructure in the State and to assist entrepreneurs in submission of applications for approvals/ registration to different organizations;

(ii) to receive applications for the allotment of industrial plot to Non-Resident Indians and foreign investors under reserved quota of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited and Haryana Urban Development Authority for processing;

(iii) to keep close liaison with offices of Ministry of Commerce and Industry, Ministry of External Affairs, Ministry of Food Processing etc. to capture the projects at the initial stage especially with regard to foreign direct investment;

(iv) to perform any other function, as may be prescribed.

Bureau of Industrial Policy and Promotion.

6. (1) The Investment Promotion Centre constituted under the Haryana Industrial Promotion Act, 2005 (6 of 2006), shall be renamed as the Bureau of Industrial Policy and Promotion and shall function under the guidance of the Administrative Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department. The Director or Director General, Industries and Commerce Department shall be the Chief Executive Officer and shall have its offices at Delhi and Chandigarh.

(2) The objective of Bureau of Industrial Policy and Promotion shall be to policy outreach, continuous engagement with the industry in an ongoing basis, tracking investment proposals, investment promotion, resolving issues relating to Non-Resident Indian and foreign direct investment, hand-holding investors and converting investment queries into investment commitments.

(3) The officers not below the rank of Divisional Town Planner, Assistant General Manager, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited, Environment Engineer, Assistant Director Industrial Safety and Deputy General Manager, Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam, Deputy General Manager, Dakshin Haryana Bijli Vitaran Nigam, Joint Director, Industries, consultants, professionals from the consultancy firms or such other officers as recommended by the Chief Executive Officer with the approval of State Government shall be part of the Bureau of Industrial Policy and Promotion.

Foreign Investment Promotion Board and Non Resident Indian Investment Cell.

7. The State Government shall, by notification, constitute Foreign Investment Promotion Board and Non-Resident Indians Investment Cell for catalyzing foreign direct investments and non-residents investments in the State.

District Level Clearance Committee.

8. (1) The State Government shall, by notification, constitute District Level Clearance Committee under the Chairmanship of the Deputy Commissioner having such members, as may be prescribed. The authority shall delegate its power to the members of the District Level Clearance Committee for grant of clearances under its respective Acts, rules or regulations, if any, for approval of projects with such investment or for grant of Change of Land Use permission for such area, as may be prescribed.

(2) The District Level Clearance Committee shall perform the following functions, namely:—

(i) to adopt such procedure for transaction of its business, as may be prescribed;

(ii) to process online composite application forms for grant of clearances for setting up industrial units with proposed investment;

(iii) to review and monitor the processing of applications by the District Industries Centres;

(iv) to inform the entrepreneur the date on which such application may be deemed to have been approved in the case of deemed clearances; and

(v) such other functions, as may be prescribed.

(3) The District Level Clearance Committee shall be the final authority to grant clearances. The clearances given by the District Level Clearance Committee shall be binding on the authority.

(4) The District Level Clearance Committee shall examine the order passed by any authority, rejecting any clearance or approving it with modification and if the District Level Clearance Committee considers that there are valid grounds for a change in such decision, it shall take a decision after recording the reasons, which shall be binding on the authority.

Online Composite Application Form.

9. There shall be an online composite application form for the use of entrepreneurs on the web portal of the Industries and Commerce Department for receiving online composite applications forms. On receiving an application, the Haryana Enterprises Promotion Centre or the District Industries Centre shall collate, process, secure clearances from the authorities in such manner, as may be prescribed. All the processing and clearances shall be given in respect of authority through the web portal.

Undertaking.

10. Every entrepreneur shall furnish an undertaking in such form, as may be prescribed at the time of submitting the duly completed online composite application form that he shall comply with the provisions of this Act and the rules made thereunder, and in case of non compliance of any provisions of the Act or rules made thereunder, the entrepreneur shall be liable to penalties as provided under section 15.

Deemed clearances.

11. (1) The Haryana Enterprises Promotion Centre and the District Industries Centre shall issue clearances within such time limit, as may be prescribed after obtaining approval of the Haryana Enterprises Promotion Board, Empowered Executive Committee or District Level Clearance Committee, as the case may be, failing which such clearances shall be deemed to have been issued.

(2) The entrepreneur may proceed to execute the work or take other action following the deemed clearance, but not so as to contravene any of the provisions of this Act or rules made thereunder.

Notified services.

12. The Industries and Commerce Department may notify industrial services relating to industrial promotion in the State under the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014).

Grievance Redressal Mechanism.

13. The State Government shall create a grievance redressal mechanism for resolving the grievances of the entrepreneurs.

Appellate authority.

14. (1) Any person aggrieved by the decision of the Empowered Executive Committee may within a period of thirty days from the date of receipt of communication of the decision of the Committee, appeal to the Haryana Enterprises Promotion Board in such manner, as may be prescribed.

(2) Any person aggrieved by the decision of the District Level Clearance Committee may within a period of thirty days from the date of receipt of communication of the decision of the Committee appeal to the Empowered Executive Committee in such manner, as may be prescribed.

(3) The appellate authority shall after following such procedure, as may be prescribed, dispose of the appeal within the period of one month from the date of its receipt.

Penalties.

15. Any entrepreneur who fails to comply with the conditions of undertaking, for the first instance of non-compliance shall be liable to pay fine which shall be fifty thousand rupees and for subsequent non-compliance, shall be liable to pay fine which may extend to one lakh rupees.

Act to over-ride other laws.

16. The provisions of this Act and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State Law.

Power to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature while it is in session.

Protection of action taken in good faith.

18. No suit or legal proceedings shall lie against the Chairman of the Haryana Enterprises Promotion Board, the Empowered Executive Committee, the District Level Clearance Committee or other members of the Board or Committees or any officer or employee of such Board or Committees in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Power to remove difficulties.

19. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove such difficulty.

Repeal and savings.

20. (1) The Haryana Industrial Promotion Act, 2005 (6 of 2006), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Enterprises Promotion Bill, 2016 will provide for simplification of regulatory framework in order to facilitate the establishment of enterprises for fast track implementation of projects in the State of Haryana by providing single point, time bound clearances required for setting up of enterprises under one roof by providing online platform. This will ensure ease of doing business for the promotion of industrial development and facilitation of new investments and to provide for an investor friendly environment in the State of Haryana.

Since, the entrepreneurs setting up their ventures in the State accord importance to Ease of Doing Business and Cost of Doing Business, this Bill shall enhance the competitiveness of the existing enterprises envisaging expansion facilitate, new investment and create conducive environment for obtaining clearances in a time bound manner. Further, incentives shall also be given to the enterprises under the Enterprises Promotion Policy, 2015 and under this Act for creating cost effective environment for doing business in the State of Haryana.

Hence the Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Industries & Commerce Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 21st March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Section 17 of the proposed bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 14–एच०एल०ए०

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016

एक छत के नीचे उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित एकल बिन्दु समयबद्ध समाशोधन उपबन्धित करते हुए हरियाणा राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में विनियामक ढांचे के सरलीकरण तथा प्रोत्साहकों की सहायता तथा प्रक्रिया अपेक्षाओं को कम करने, दस्तावेजों के सुव्यवस्थीकरण करने के लिए उपबन्ध करने हेतु तथा औद्योगिक विकास की प्रोन्नति के लिए कारबार करने की सुगमता तथा नये निवेशों के सुकर को सुनिश्चित करने के लिए तथा हरियाणा राज्य में निवेशक के लिए अनुकूल वातावरण उपबन्ध करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

(2) यह 14 अगस्त, 2015 से लागू हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कोई राज्य विधि'' से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई या अपनाई गई कोई विधि ;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार का कोई विभाग या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई वैधानिक बोर्ड, निगम या कोई अन्य प्राधिकरण तथा जिसे राज्य में उद्यम स्थापित करने के संबंध में समाशोधन प्रदान या जारी करने के लिए शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो;

(ग) ''समाशोधन'' से अभिप्राय है, राज्य में उद्यम स्थापित करने या वर्तमान उद्यम के विस्तार के संबंध में किसी प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, आबंटन, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुज्ञा, पंजीकरण, पंजीयन, अनुज्ञप्ति प्रदान करना या जारी करना;

(घ) ''समझा गया समाशोधन'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम या किसी राज्य विधि के अधीन विहित नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर दिया गया समझा गया समाशोधन;

(ङ) ''जिला स्तरीय समाशोधन समिति'' से अभिप्राय है, धारा 8 के अधीन गठित समिति;

(च) ''जिला औद्योगिक केन्द्र'' से अभिप्राय है, जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा का कार्यालय;

(छ) ''उद्यमी'' से अभिप्राय है, कोई संस्था जो उद्यम स्थापित करने का निर्णय लेती है तथा इसमें शामिल हैं (i) वैयक्तिक; (ii) कोई अविभाजित हिन्दू परिवार; (iii) कोई कम्पनी; (iv) कोई पंजीकृत फर्म; (v) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अनुसार कोई सीमित दायित्व भागीदारी; (vi) व्यक्तियों का संगम या कोई व्यष्टि निष्काम, चाहे भारत में या भारत के बाहर, निगमित हो या नहीं; (vii) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खण्ड (45) के अधीन यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी; (viii) भारत के बाहर किसी देश की विधियों द्वारा या के अधीन निगमित कोई निगम निकाय; या (ix) सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ज) ''सशक्त कार्यकारी समिति'' से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित समिति;

(झ) ''उद्यम'' से अभिप्राय है, विनिर्माण, प्रसंस्करण या दोनों या साफ्टवेयर विकास सहित कोई सेवा उपलब्ध करवाने में लगा हुआ कोई उपक्रम;

(ञ) ''हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित बोर्ड;

(ट) ''हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित केन्द्र;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(ढ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार।

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड।

3. (1) राज्य सरकार, मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन अधिसूचना द्वारा हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड का गठन करेगी।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड दो चरण प्रणाली अर्थात् परियोजना समाशोधन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सशक्त कार्यकारी समिति और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समाशोधन समिति से मिलकर बनेगा।

(3) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड उद्यम विकास से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए अपैक्स निकाय होगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) अपना कारबार करने के लिए विनियम तथा प्रक्रिया बनाना तथा सशक्त कार्यकारी समिति को कृत्य आबंटित करना;

(ii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्रों में पद सृजन करने, समाप्त करने तथा पुनः पदाभिहित करने;

(iii) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समितियों के कृत्यों को मानीटर, पर्यवेक्षण करना तथा पुनरीक्षण करना;

(iv) उद्यम प्रोन्नति नीति, 2015 के अधीन वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज से बाहर बड़ी परियोजनाओं तथा अत्यधिक बड़ी परियोजनाओं में सशक्त कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर कोई प्रोत्साहन देने, रियायत देने, छूट देने का अनुमोदन करना या समाशोधन प्रदान करना ;

(v) सशक्त कार्यकारी समिति तथा जिला स्तरीय समाशोधन समिति की सिफारिशों पर समाशोधन प्रदान करना, जहां अनुमोदन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं ;

(vi) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र की लेखा–परीक्षा रिपोर्टों सहित वार्षिक बजट, लेखों तथा रिपोर्टों का अनुमोदन करना ; तथा

(vii) इसके कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना।

सशक्त कार्यकारी समिति।

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता तथा ऐसे अन्य सदस्य, जो विहित किए जाएं, के अधीन, ऐसे निवेश सहित परियोजनाओं पर विचार करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्र, जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सशक्त कार्यकारी समिति का गठन करेगी। सशक्त कार्यकारी समिति सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हो, परियोजना के उत्पादन/ संचालन के प्रारम्भ के चरण/ तिथि तक समयबद्ध रीति में समाशोधन तथा प्रोत्साहनों को प्रदान करने संबंधी, के अधीन इसको यथा सौंपी गई प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगी। यदि कोई प्राधिकरण सशक्त कार्यकारी समिति को अपनी शक्तियों को सौंपने में असमर्थ है, तो यह सशक्त कार्यकारी समिति में प्रतिनियुक्त इसके अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा।

(2) प्रशासकीय सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा ऐसे कृत्य, जो विहित किए जाएं, का पालन करेगा । प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। सशक्त कार्यकारी समिति का कार्यालय निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा, चण्डीगढ़ में स्थित होगा। निदेशालय, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा का अमला, सशक्त कार्यकारी समिति का कार्य करने के लिए विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति से उपयुक्त रूप से सुदृढ़ होगा।

(3) सशक्त कार्यकारी समिति हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :–

(i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना;

(ii) ऐसे प्रस्तावित निवेश, जो विहित किए जाएं, सहित नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए समाशोधनों को प्रदान करने के लिए ऑनलाइन कम्पोजिट आवेदन प्ररूपों की प्रक्रिया ;

(iii) उद्यमी को तिथि, जिसको ऐसा आवेदन समझे गए समाशोधनों की दशा में अनुमोदित किए गए समझे जा सकते हैं, सूचित करना;

(iv) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की प्रक्रिया का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना ;

(v) निजी सेक्टर में औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना;

(vi) बहु विभागों से सम्बन्धित विषयों के संकल्प के लिए एकल बिन्दु अभिकरण के रूप में कार्य करना तथा वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के अन्तर विभागीय विवादों का निपटान करना ;

(vii) ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जो इसे हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं ;

(viii) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड को इसकी सिफारिशों तथा सुझावों सहित कोई मामला निर्दिष्ट करना।

(4) सशक्त कार्यकारी समिति समाशोधनों को प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण होगा। समिति द्वारा दिए गए समाशोधन सम्बद्ध प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

(5) सशक्त कार्यकारी समिति, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता के अधीन किसी उप समिति तथा इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने में सहयोग करने के लिए तथा राज्य में निवेश को सुकर बनाने के लिए, समय–समय पर, उद्योगों या सम्बन्धित क्षेत्रों से विशेषज्ञों को, जैसा यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।

5. (1) राज्य सरकार, प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में तथा ऐसे अन्य सदस्यों, जो विहित किए जाएं, को शामिल करते हुए हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र का गठन कर सकती है। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र।

(2) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड तथा सशक्त कार्यकारी समिति को सचिवालय सेवा उपलब्ध करवाएगा तथा औद्योगिक विकास में नियोजित सभी संस्थाओं की भूमि, जल, विद्युत, वित्त इत्यादि तथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा उप–विधियों की उपलब्धता का सम्पूर्ण डाटा बेस रखेगा। हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र निवेश के लिए अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य प्रदर्शन–मंजूषा करेगा तथा यह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) राज्य में परियोजनाओं के लागूकरण के लिए आवश्यक विभिन्न समाशोधनों के संबंध में विशिष्ट रूप से भावी उद्यमियों को जोखिम अवस्थिति के लिए भूमि की उपलब्धता तथा अवसंरचना का वर्तमान स्तर हेतु तथा विभिन्न संगठनों के अनुमोदनों/ पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रस्तुतीकरण में उद्यमियों को सहयोग देने के लिए तथा मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक छत के नीचे एकल बिन्दु सम्पर्क अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(ii) संसाधन हेतु हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण के आरक्षित कोटा के अधीन अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी निवेशकों को औद्योगिक प्लाट के आबंटन के लिए आवेदनों को प्राप्त करना;

(iii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विशिष्ट रूप से प्रारम्भिक स्तर पर परियोजनाओं के परिग्रहण करने के लिए वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खाद्य संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से घनिष्ठतम सम्पर्क बनाए रखना;

(iv) कोई अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए, का पालन करना ।

6. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005 (2006 का 6) के अधीन गठित निवेश प्रोन्नति केन्द्र, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के मार्गदर्शन के अधीन कृत्य करेगा। निदेशक या महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा इसका कार्यालय दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में होगा । औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो ।

(2) औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का उद्देश्य नीति को बढ़ावा देना, उपगामी आधार पर उद्योग से निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखना, ट्रैकिंग निवेश प्रस्तावों को बनाना, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित विषयों का निराकरण करना, निवेशकों के प्रति मार्गदर्शी होना तथा निवेश शंकाओं को निवेश वचनबद्धता में परिवर्तित करना ।

(3) मण्डल योजनाकार, सहायक महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, पर्यावरण अभियन्ता, सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा तथा उप महाप्रबन्धक, उत्तर बिजली वितरण निगम, उप महाप्रबन्धक, दक्षिण हरियाणा बिजली निगम, संयुक्त निदेशक उद्योग की पदवी से नीचे के न हों, परामर्श कार्य फर्मों से परामर्शदाताओं, व्यावसायिकों या राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित ऐसे अन्य अधिकारी, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नति ब्यूरो का हिस्सा होंगे ।

विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल ।

7. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और अनिवासी निवेशों को उत्तप्रेरित करने के लिए विदेशी निवेश प्रोन्नति बोर्ड और अनिवासी भारतीय निवेश सैल गठित करेगी ।

जिला स्तरीय समाशोधन समिति ।

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन ऐसे सदस्य, जो विहित किये जाएं, रखने वाली जिला स्तरीय समाशोधन समिति का गठन करेगी। प्राधिकारी ऐसे निवेश के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए इससे सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों या विनियमों, यदि कोई हो, के अधीन समाशोधनों को प्रदान करने के लिए या ऐसे क्षेत्र जो विहित किए जाएं, के लिए भूमि उपयोग अनुमति के परिवर्तन को प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समाशोधन समिति के सदस्यों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा ।

(2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्:–

(i) अपने कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाना ;

(ii) प्रस्तावित निवेश सहित औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए समाशोधनों को प्रदान करने हेतु ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूपों की प्रकिया;

(iii) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण का पुनरीक्षण तथा मॉनीटर करना;

(iv) समझे गये समाशोधनों की दशा में उद्यमी को, तिथि जिसको ऐसा आवेदन अनुमोदित किया गया समझा जा सकता है, सूचित करना; तथा

(v) ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, समाशोधन प्रदान करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण होगा । जिला स्तरीय समाशोधन समिति द्वारा दिए गये समाशोधन प्राधिकरण पर आबद्धकर होंगे ।

(4) जिला स्तरीय समाशोधन समिति, प्राधिकरण द्वारा, किसी समाशोधन को अस्वीकृत करने या रूपांतरण सहित इसका अनुमोदन करने बारे पारित आदेश की जांच करेगी तथा यदि जिला स्तरीय समाशोधन समिति विचार करती है कि ऐसी निर्णय में परिवर्तन के लिए वैध आधार है, तो वह कारणों को अभिलिखित करने के बाद निर्णय लेगी जो प्राधिकारण पर आबद्धकर होगा ।

ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप।

9. ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप प्राप्त करने के लिए उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की वैब पोर्टल पर उद्यमियों के प्रयोग के लिए ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप होगा। आवेदन की प्राप्ति पर, हरियाणा उद्यमी प्रोन्नत केन्द्र या जिला उद्योग केन्द्र प्राधिकरणों से ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समाशोधनों को एकत्रित करेगा, आगामी कार्यवाही करेगा तथा सुनिश्चित करेगा । सभी प्रक्रियाएं तथा समाशोधन प्राधिकरण के संबंध में वैब पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे ।

वचनबद्धता ।

10. प्रत्येक उद्यमी सम्यक् रूप से पूर्ण ऑनलाईन कम्पोजिट आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय ऐसे प्रारूप, जो विहित किये जाए में वचनबद्धता देगा कि वह इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों की अनुपालना करेगा, तथा अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों की अननुपालना की दशा में, उद्यमी धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित शास्तियों के लिए दायी होगा ।

समझे गए समाशोधन ।

11. (1) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र तथा जिला उद्योग केन्द्र हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड, सशक्त कार्यकारी समिति या जिला स्तरीय समाशोधन समिति, जैसी भी स्थिति हो, का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी समय सीमा, जो विहित की जाएं, के भीतर समाशोधन जारी करेंगे, जिसमें असफल रहने पर ऐसे समाशोधन जारी किए गए समझे जायेंगे ।

(2) उद्यमी कार्य निष्पादन या समझे गये समाशोधन के अनुसरण में अन्य कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, ताकि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन ना किया जा सके ।

12. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) के अधीन राज्य में औद्योगिक प्रोन्नति से सम्बंधित औद्योगिक सेवाएं अधिसूचित कर सकता है । अधिसूचित सेवाएं ।

13. राज्य सरकार उद्यमियों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म सृजित करेगी । शिकायत प्रतितोष मैकेनिज्म ।

14. (1) सशक्त कार्यकारी समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है। अपीली प्राधिकरण ।

(2) जिला स्तरीय समाशोधन समिति के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति समिति के निर्णय की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सशक्त कार्यकारी समिति को, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।

(3) अपीली प्राधिकरण ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाने के बाद, इसकी प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा ।

15. कोई उद्यमी जो वचनबद्धता की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो प्रथम बार अनुपालना के लिए ऐसे जुर्माना जो पचास हजार रुपए होगा के भुगतान के लिए दोषी होगा तथा पश्चात्वर्ती अननुपालना के लिए ऐसे जुर्माने के लिए दायी होगा जो एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है । शास्तियाँ ।

16. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंध किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे । अधिनियम पर अन्य विधियों का अध्यारोही होना ।

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने के शक्ति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष रखा जाएगा, जब वह सत्र में हो ।

18. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में हरियाणा उद्यमी प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, सशक्त कार्यकारी समिति, जिला स्तरीय समाशोधन समिति या बोर्ड या समितियों के अन्य सदस्यों या ऐसे बोर्ड या समितियों के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

19. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, ऐसी कठिनाई दूर कर सकती है। कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

20. (1) हरियाणा औद्योगिक प्रोन्नति अधिनियम, 2005(2006 का 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा उद्यम प्रोन्नति विधेयक, 2016 ऑनलाईन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाते हुए, एक छत के नीचे उद्यमों को स्थापित करने के लिए एकल बिन्दु, समयबद्ध समाशोधन उपलब्ध करवाते हुए हरियाणा राज्य में परियोजनाओं के फास्ट ट्रैक लागूकरण हेतु उद्यमों के प्रतिष्ठान को सुकर बनाने के लिए विनियामक फ्रैमवर्क के सरलीकरण के लिए उपबंध करेगा । यह औद्योगिक विकास और नए निवेश की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कारोबार करना आसान सुनिश्चित करेगा और हरियाणा राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा ।

चूंकि, उद्यमी अपने उद्यमों की स्थापना के लिए कारोबार करना आसान तथा व्यापार करने की लागत को महत्व देते हैं, यह विधेयक मौजूदा उद्यम जो विस्तार करना चाहते हैं उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा, नए निवेश को सुविधा देगा तथा एक समयबद्ध रीति में समाशोधन प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इसके अलावा, उद्यम संवर्धन नीति, 2015 और इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य में कारोबार करने के लिए लागत प्रभावी वातावरण बनाने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा ।

इसलिए विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु,
उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 17 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित के लिये नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

54183—H.V.S.—H.G.P., Chd.